इलायची के ब्यौहारी केलिए अनुज्ञप्ति जारी किए जाने पर विचार करने केलिए अभिरुचि की अभिव्यक्ति का आमंत्रण

बोर्ड खंड वर्ष 2017-2020 केलिए भारतीय इलायची केलिए नीलामी में भाग लेने केलिए ब्यौहारियों को अनुज्ञप्ति जारी करने की प्रक्रिया शुरू करना चाहता है। संभावित इलायची ब्यौहारियों से उक्त खंड अवधि केलिए अनुज्ञप्ति जारी किए जाने पर विचार करने केलिए अभिरुचि की अभिव्यक्ति [ई ओ आई] आमंत्रित की जाती हैं। इससे संबंधित विवरण, लागू मार्ग निर्देश, निर्धारित आवेदन प्ररूप और चेक-लिस्ट नीचे दिए जाते हैं। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ई ओ आई केलिए आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व उसे देख लें। ऊपर की ई ओ आई से जुड़े कोई भी शुद्धिपत्र, परिशिष्ट,संशोधन, समय-विस्तारण, स्पष्टीकरण आदि हमारी वेबसाइट में अपलोड किए जाएंगे और इनका प्रकाशन नहीं किया जाएगा। संभावित बोलीदाताओं को शुद्धिपत्र यदि कोई है, तो उसे नोट करने केलिए समय-समय पर बोर्ड की वेबसाइट देखना चाहिए।

आवेदकों के चयन संबंधी स्पाइसेस बोर्ड का निर्णय अंतिम और बाध्यकर रहेगा। बोर्ड लोक हित की दृष्टि से उचित पाया जाता है तो, बिना किसी कारण बताए किसी भी पात्रता शर्त का संशोधन या आशोधन करने या जो भी हो, बिना किसी कारण बताए ई ओ आई रद्द करने या नई ई ओ आई आमंत्रित करने का अधिकार रखता है। आवेदकों का चयन मार्ग निर्देशों में बनाई शर्तों के अनुसार होगा। मार्ग निर्देशों, दस्तावेजों में बताए अनुसार पूरी सूचना देने में चूक या किसी प्रस्ताव की प्रस्तुति जो मार्ग निर्देश और अपेक्षित दस्तावेजों के वस्तुगत रूप से पूर्णत: अनुकूल नहीं है, तो उसका उत्तरदायित्व बोलीदाताओं का होगा और चयनित सूची तैयार करते समय प्रस्ताव का निरसन में परिणत हो सकता है। ई ओ आई का आमंत्रण कोई वादा नहीं है और इसे बिना किसी वचनबद्धता के जारी किया जाता है। प्रत्येक बोलीदाता द्वारा प्रस्ताव को प्रस्तुत किए जाने पर यह स्वीकार किया समझा जाएगा कि मार्ग निर्देशों व अनुलग्नक, यदि कोई है तो, ध्यानपूर्वक पढ़ लिया गया है और सभी वर्तमान शर्तों व सीमाओं को स्वयं समझ लिया गया है। मध्यवर्तियों द्वारा प्रस्तुत की गई प्रतिक्रियाओं पर विचार नहीं किया जाएगा और पूर्णत: निरस्त की जाएंगी। इस अभिरुचि की अभिव्यक्ति का उद्देश्य छोटी व बड़ी इलायची की नीलामी-प्रक्रिया में भाग लेने केलिए वर्तमान ब्यौहारियों सहित इसमें रुचि रखने वाले ब्यौहारियों से प्रस्ताव की प्रार्थना करना है। अपूर्ण पाए जाने वाले आवेदन निरस्त किए जाने लायक होंगे और इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।

ब्यौहारी के रूप में अनुज्ञप्ति प्राप्त करने की प्रक्रिया में भाग लेने में रुचि रखनेवाले अपनी रुचि की अभिव्यक्ति निदेशक(विपणन), स्पाइसेस बोर्ड, कोच्ची को प्रस्तुत कर सकते हैं ।

ब्यौहारी के रूप में अनुज्ञप्ति प्राप्त करने की प्रक्रिया में भाग लेने में रुचि रखने वाले, अपनी रुचि की अभिव्यक्ति निदेशक(विपणन),स्पाइसेस बोर्ड, कोच्ची को प्रस्तुत कर सकते हैं।

I. सामान्य

1. ई ओ आई वाले लिफ़ाफ़े के ऊपर "ब्यौहारी अनुज्ञप्ति केलिए ई ओ आई" लिखा हुआ होना चाहिए और पंजीकृत डाक द्वारा निम्न पते पर भेजा जाना चाहिए:

श्री सुरेषकुमार

निदेशक (विपणन)

स्पाइसेस बोर्ड

एन एच बै पास

पालारिवट्टम पी ओ

कोच्ची– 682 025

केरल, भारत

2. ई ओ आई प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख 23 जुलाई 2018 है।

3. अंतिम तारीख के बाद प्राप्त ई ओ आई पर विचार नहीं किया जाएगा।

4. ई ओ आई की प्रस्तुति, अनुज्ञप्ति ज़ारी करने की गारंटी नहीं है। अनुज्ञप्ति, आवेदनों तथा दस्तावेज़ों के सत्यापन और अनुज्ञप्ति ज़ारी करने केलिए नियत मापदंडों की पूर्ति के अधीन ही प्रदान की जाएगी।

5. बोर्ड, अनुज्ञप्ति प्रदान करने केलिए अतिरिक्त मापदंड, उद्योग के हित केलिए जो भी आवश्यक पाया जाए,शामिल करने का अधिकार रखता है।

II. इलायची ब्यौहारी अनुज्ञप्ति ज़ारी करने केलिए दिशानिर्देश

छोटी इलायची तथा बडी इलायची केलिए ब्यौहारी अनुज्ञप्ति, 2018 में यथा संशोधित "इलायची (अनुज्ञापन व विपणन) नियम,1987" में निहित प्रावधानों के अनुसार स्पाइसेस बोर्ड द्वारा ज़ारी की जाती है।

III. समर्थक दस्तावेज़ों की स्वत: साक्ष्यांकित प्रतियां, जो इलायची की ब्यौहारी अनुज्ञप्ति केलिए आवेदक साथ संलग्न की जानी है:

व्यक्तिगत आवेदक :

अ) निर्धारित प्ररूप में आवेदन (प्ररूप ए-1 संलग्न)

आ) पैन कार्ड की प्रति

इ) जी एस टी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की प्रति

ई) आधार कार्ड की प्रति

उ) कार्यालय पते का प्रमाण (उपयोगिता बिलों में से कोई भी जैसे कि: बिजली का बिल, टेलीफ़ोन का बिल, पोस्ट पेइड मो– बाइल बिल, ग्राहक गैस बिल)

ऊ) पिछले छ: महीनों की बैंक विवरणी (पहला पृष्ठ बैंकर के द्वारा हस्ताक्षरित और मोहर लगाया हुआ)

ऋ) आकलन वर्ष 2017 -18 की आयकर विवरणी

ए) वर्ष 2016-17 केलिए तुलन-पत्र, यदि कोई है,तो

ऐ) आई डी कार्ड के ज़ारी करने केलिए प्रतिनिधित्व किए व्यक्ति और कंपनी का विधिवत् नाम उल्लेख करते हुए फ़र्म के सी ई ओ या नामोद्दिष्ट अधिकारी की पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, अधिमानत: व्हाइट बैकग्राउण्ट में।

ओ) आवेदक की वित्तीय स्थिति के समर्थन में मोहर बंद लिफ़ाफ़े में निर्धारित फ़ॉर्मेट में गोपनीय बैंक प्रमाणपत्र

औ) "स्पाइसेस बोर्ड" के पक्ष में डिमांड ड्राफ़्ट द्वारा 10,000/- रुपए (केवल दस हज़ार रुपए) का पंजीकरण शुल्क। डी डी किसी भी अनुसूचित बैंक के नाम आहरित "एरणाकुलम" में देय होना चाहिए।

फर्म / कंपनियां / सहकारी समितियां / चैरिटेबल सोसाइटी:

अ) निर्धरित प्ररूप में आवेदन (प्ररूप ए-1 संलग्न)

आ) पैन कार्ड की प्रति

इ) जी एस टी प्रमाणपत्र पंजीकरण की प्रति

ई) 31.3.2017 तक के लेखापरीक्षित तुलन-पत्र की प्रति

उ) 31.3.2017 तक की आयकर विवरणी की पावती की प्रति

ऊ) मार्च 2018 केलिए जी एस टी विवरणी पावती की प्रति

ऋ) ई एस आई पंजीकरण की प्रति

ए) भविष्य निधि पंजीकरण की प्रति

ऐ) आई डी कार्ड के ज़ारी करने केलिए प्रतिनिधित्व किए व्यक्ति और कंपनी का विधिवत् नाम उल्लेख करते हुए फ़र्म के सी ई ओ या नामोद्दिष्ट अधिकारी की पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, अधिमानत: व्हाइट बैकग्राउण्ट में

ओ) आवेदक की वित्तीय स्थिति के समर्थन में मोहर बंद लिफ़ाफ़े में निर्धारित फ़ॉर्मैट में गोपनीय बैंक प्रमाणपत्र

औ) “स्पाइसेस बोर्ड” के पक्ष में डिमांड ड्राफ़्ट द्वारा 10,000/- रुपए (केवल दस हज़ार रुपए) का पंजीकरण शुल्क। डी डी किसी भी अनुसूचित बैंक के नाम आहरित "एरणाकुलम" में देय होनी चाहिए।

ऊपर के अलावा, आवेदकों द्वारा निम्नलिखित अतिरिक्त दस्तावेज़ों को भी प्रस्तुत किया जाना है:

अतिरिक्त दस्तावेज़ जो "कंपनियां" श्रेणी में आनेवाले आवेदकों द्वारा प्रस्तुत की जानी है:

अ) अनुच्छेदों का ज्ञापन की प्रति

अ) निगमन प्रमाणपत्र की प्रति

इ) अद्यतन वार्षिक विवरणी (प्ररूप एम जी टी-7 की प्रति)

ई) स्व-घोषणा कि कंपनी के निदेशकों में से किसी को भी निदेशक के रूप में काम करने को अयोग्य बनाती है, की प्रति

उ) प्रोफ़ाइल सहित निदेशकों का नाम, आवासीय पता

ऊ) निदेशकों के आधार की प्रतियां

ऋ) निदेशकों के पैन कार्ड की प्रतियां

ए) निदेशकों का डी आई एन सं. की प्रति

अतिरिक्त दस्तावेज़ जो फ़र्म के आवेदकों द्वारा प्रस्तुत की जानी है:

अ) भागीदारी फ़र्म पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति

आ) भागीदारी विलेख की प्रति

इ) भागीदारों का नाम, आवासीय पता संबंधी विवरण

ई) भागीदारों के आधार की प्रति

उ) भागीदारों के पैन कार्ड की प्रति

अतिरिक्त दस्तावेज़, जो बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002(2002 का 39) के अधीन पंजीकृत बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी के और सोसाइटीज़ पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन पंजीकृत किसी धर्मार्थ सोसाइटी के आवेदकों द्वारा प्रयुक्त की जानी है:

अ) पंजीकरण प्रमाणपत्र

आ) उप नियम की प्रति

इ) पदाधिकारियों/न्यासियों का नाम, आवासीय पता संबंधी विवरण

ई) पदाधिकारियों/न्यासियों के आधार की प्रति

उ) पदाधिकारियों/न्यासियों के पैनकार्ड की प्रति

संगठन के मुख्य कार्यपालक अधिकारी या नामोद्दिष्ट अधिकारी की पासपोर्ट साइज़ फोटो चिपकाइए।

प्ररूप ए - 1

[नियम 4(1) और 5(1) देख लें]

इलायची ब्यौहारी के रूप में अनुज्ञप्ति प्रदान करने केलिए आवेदन

1. व्यक्ति/फर्म का नाम [मोटे अक्षरों में]:

2. प्रधान /रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता

मकान संख्या/ मकान का नाम	
सड़क	
शहर	पिन
राज्य	
टेली	
मोबाइल	
फैक्स	
इ-मेइल आई डी	

3. कंपनी की स्थिति (कृपया जहां उचित हो ,वहाँ ✓☐ चिह्न लगाएँ)

☐ स्वत्वधारिता ☐ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी

☐ हिन्दु अविभक्त परिवार ☐ पब्लिक लिमिटेड कंपनी

☐ साझेदारी ☐ पब्लिक सेक्टर (केंद्रीय सरकार)

☐ सहकारी सोसाइटी ☐ पब्लिक सेक्टर (राज्य सरकार)

☐ अन्य विनिर्दिष्ट करें

4. स्वत्वधारी / साझेदारों / निदेशकों का पूरा नाम और स्थाई पता (जहां अपेक्षित हो, अतिरिक्त शीट जोड़ दें)

नाम

मकान सं.

मकान का नाम

शहर पिन

राज्य

टेली

मोबाइल

फैक्स

इ-मेइल

(5) स्थाई खाता संख्या (पैन)

(6) कर रजिस्ट्रीकरण (स्वयं सत्यापित प्रति जोड़ दें)

माल व सेवा कर (जी एस टी)										
जारी-तारीख										
जारी-स्थान										

(7) सूचित करें कि आवेदक को किसी भी पिछली खंड- अवधियों में ब्यौहारी के रूप में अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है (कृपया जहां उचित हो, वहाँ ✓☐ चिह्न लगाएँ) ☐ जी हाँ ☐ जी नहीं

(अ) यदि हाँ, तो सूचित करें

अनुज्ञप्ति संख्या

जारी-तारीख

(आ) पिछले तीन वर्ष के दौरान खरीदी और बिकी गई इलायची की मात्रा और मूल्य

वर्ष	खरीद		बिक्री	
	मात्रा (मी.ट.)	मूल्य(लाख रु. में)	मात्रा (मी.ट.)	मूल्य(लाख रु. में)

(8) अदा किए गए शुल्क का विवरण

राशि रु.

भुगतान का तरीका बैंक ट्रांस्फर ☐ डिमाण्ड ड्राफ्ट ☐

यू टी आर/डिमाण्ड ड्राफ्ट सं. दिनांक

बैंक का नाम

(9) इलायची खरीदने का स्रोत (जहां उचित हो, वहाँ कृपया ✓लगाइए)

नीलामकर्ता ☐ कृषक ☐ ब्यौहारी ☐

((10) भांडागारण सुविधाएं

टाइप	स्थान व पता	फ्लोर एरिया (वर्ग फीट)	भांडागारण क्षमता
गोदाम			

घोषणा

मैं / हम...यह घोषणा करता/ करती हूँ करते/ करती हैं कि मेरी / हमारी उत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार ऊपर दी गई सूचना सही हैं और मैं / हम इलायची (अनुज्ञापन और विपणन) नियम,**1987,** इलायची (अनुज्ञापन और विपणन) संशोधन नियम (**2018** तक संशोधित) और कारोबार चलाने के बारे में बोर्ड द्वारा समय-समय पर दिए जाने वाले किन्हीं अनुदेशों का अनुसरण करूंगा/ करूंगी / करेंगे/ करेंगी।

स्थान: हस्ताक्षर :

दिनांक: नाम :

पदनाम :

टिप्पणी: जिस आवेदन के साथ विहित फीस संलग्न नहीं है, उस पर विचार नहीं किया जाएगा ।